

देश में सीएए लागू, अधिसूचना जारी तीन मुल्कों के छह प्रवासी समुदायों को मिलेगी नागरिकता

नई दिल्ली: देश में 'नागरिकता संशोधन अधिनियम' (सीएए) के नियम लागू हो गए हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार शाम को नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए पार्टल भी तैयार कर लिया गया है, जिसके जरिए गैर मुस्लिम प्रवासी समुदाय के लोग नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के नियमों को तैयार करने के लिए लोकसभा में अधीनस्थ कानून पर संसदीय समिति की तरफ से एक और विस्तार मिला था। पहले के सेवा विस्तार की अवधि नौ जनवरी को खत्म हो गई थी। सीएए के नियम तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय को सातवीं बार विस्तार प्रदान किया गया था। इससे पहले राज्यसभा से भी गृह मंत्रालय को उक्त विषय पर नियम बनाने व लागू करने के लिए 6 महीने का विस्तार मिला था। सीएए नियमों के तहत ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन मार्ग जाएगा। इस प्रक्रिया का काम पूरा हो चुका है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों के तहत भारत के तीन मुस्लिम पड़ोसी देश, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शामिल हैं, से आए गैर मुस्लिम प्रवासी लोगों के लिए भारत की नागरिकता लेने के नियम आसान हो जाएंगे। इन छह समुदायों में हिंदू, ईसाई, सिख, जैन,

क्या है CAA

और क्यों हो रहा विवाद

को लेकर बड़ा बयान दिया।
मुख्यमंत्री ममता ने कहा कि अगर नागरिकता संशोधन अधिनियम लोगों के साथ भेदभाव करता है तो वह इसका विरोध करेंगी। उन्होंने कहा, "सीएए, एनआरसी बंगल और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए संवेदनशील है। साथ ही ममता ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले हम असार्वति नहीं चाहते।"
भेदभाव करने वाली किसी भी चीज का विरोध करेंगे- ममता:
सीएए ममता बनर्जी ने आगे कहा कि एनआरसी और सीएए के नाम पर लोगों को डिटेंशन कैंप में भेजा जाएगा तो वो विरोध करेंगी। सीएए नियमों को अधिसूचित किए जाने की अटकलों पर बंगल की सीएए ममता बनर्जी ने कहा, "लोगों के साथ भेदभाव करने वाली किसी भी चीज का विरोध करेंगे।"

पहले मुझे नियमों को देख दीजिए- सीएए
सीएए नियमों को अधिसूचित करने की संभावना पर उन्होंने कहा, "पहले मुझे नियमों को देखने दीजिए अधिसूचना अभी तक जारी नहीं दर्शाई गई है। अगर लोगों को नियमों को देखने तहत उनके अधिकारों से वर्चुअल किया जाता है, तो हम खिलाफ लड़ेंगे। यह चुनाव के लिए बीजपी का प्रचार है, इसके सिर कुछ नहीं है।"
क्या है सीएए और इससे किसी मिलेगी नागरिकता
लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मोदी सरकार ने बैठक सियासी दंव चल दिया है। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
क्या है नागरिकता संशोधन कानून?

जिसके कारण ये विवादों में घिरा हुआ है। सीएए में अब तक मुस्लिमों को क्यों नहीं जोड़ा गया? गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर संसद में बताया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांगलादेश मुस्लिम देश हैं। वहाँ धर्म के नाम पर बहुसंख्यक मुस्लिमों का उत्पीड़न नहीं होता है, जबकि इन देशों में हिंदुओं समेत अन्य समुदाय के लोगों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए इन देशों के मुस्लिमों को नागरिकता कानून में शामिल नहीं किया गया है। हांलाकि, इसके बाद भी वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर सरकार विचार कर फैसला लेगी। किसे मिल सकेगी नागरिकता? सीएए लागू होने के बाद नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास होगा। पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। बता दें कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए थे, उन्हें ही नागरिकता मिलेगी। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है, जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज (पासपोर्ट और वीजा) के बगैर घुस आए हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हैं, लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक यहाँ रुक गए हों। नागरिकता के लिए कैसे करें आवेदन? नागरिकता पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही रखी गई है। जिसे लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा चुका है। नागरिकता पाने के लिए आवेदकों को अपना वह साल बताना होगा जब उन्होंने बिना किसी दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था। आवेदक से किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नागरिकता से जुड़े जितने भी मामले लिंबित उन सबको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पात्र विश्वापितों को सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन करना होगा। जिसके बाद गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा और आवेदक को नागरिकता जारी कर दी जाएगी।

क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड?

यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। सरकार ने इसे लागू करने के सकैत दे दिए हैं जिसके बाद से ही यूसीसी को लेकर लोगों के बीच चर्चा हो रही है। बता दें कि यूसीसी में देश में सभी धर्मों, समुदायों के लिए एक सामान, एक बराबर कानून बनाने की बात की गई है। आसान भाषा में समझें तो इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों, समुदायों के लिए कानून एक समान हो जाएगा। मजहब और धर्म के आधार पर मौजूदा अलग-अलग कानून निष्प्रभावी हो जाएगा।

गाजीपुर में दर्दनाक हादसा: पांच जिंदा जले


एकटी लाइन के सप्तक में आने से बस में लगा आग



लाइन के संपर्क में आने से बस हादसे का शिकार हो गई। आग की चपेट में आने से कई लोग झुलस गए हैं। बस मऊ से एक वैवाहिक कार्यक्रम में जा रही थी। मरदह थाना के 400 मीटर के पास एचटी तार के संपर्क में आने से बस में आ आग लग गई। पुलिस भी मौवे पर पहुंच गई है। जिलाधिकारी आर्यका अखारी और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह भी मौवे पर पहुंच गए हैं। एसपी ने बताया कि गाड़ी जनपद के बाहर की है यह घटना कैसे हुई है, देखा ज

रहा ह।
सीएम ने मुआवजे का किया
ऐलानः मुख्यमंत्री योगी
 अदित्यनाथ ने गाजीपुर हादसे का
 संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने मृतकों
 के शोक संतप्त परिजनों के प्रति
 संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने
 झुलसे लोगों को तत्काल अस्पताल
 पहुंचाकर जिला प्रशासन के
 अधिकारियों को उनके समुचित
 उपचार के निर्देश दिए हैं। इसके
 साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ
 होने की भी कामना की है।
 मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के
 अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर
 राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश
 दिए। सीएम के अनुसार, मृतकों के
 परिजनों को 5-5 लाख की
 अर्थिक सहायता दी जाएगी।

भाजपा सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ़ : खरगो



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सर्विधान नहीं बदला जाएगा और दूसरी तरफ वह अपने लोगों ये कहने की इजाजत देते हैं कि उन्हें सर्विधान में संशोधन के लिए दो-तिरहाई बहुमत की जरूरत है। सर्विधान बदलने से देश में उथल-पुथल मच जाएगी: खरोगे ने कहा कि यह बयान किसी बाहरी तत्व ने नहीं बल्कि भाजपा सांसद ने दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सर्विधान में निहित सामाजिक न्याय और धर्मविरोधकता के चिन्हाएँ हैं। जल्दी से

निशाना साधते हुए कहा, "यह अच्छी मानसिकता नहीं है अगर आप सर्विधान बदलना चाहते हैं तो इससे देश में उथल-पुथल मच जाएगी!" इसीलिए पीएम मोदी 400 सीटें जीतने की बात करते हैं: खरोगे ने कहा कि इसीलिए पीएम मोदीए एनडीए के लिए 400 से ज्यादा सीटें जीतने की बात करते हैं, क्योंकि वे सर्विधान में संशोधन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, "अगर मेरी पार्टी में कोई भी ऐसी टिप्पणी करता है तो मैं उसे निकाल दूंगा।"

अग्नि-5 मिसाइल का परीक्षण सफल

'मिशन दिव्याख्र' के लिए पीएम मोदी ने डीआरडीओ को दी बधाई

नइ दिल्ला: भारत न मिशन दिव्यास्त्र का परीक्षण किया है। मिशन दिव्यास्त्र के सफल परीक्षण को लेकर ढट मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अम्लड के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि -5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण मिशन दिव्यास्त्र के लिए हमारे डीआरडीओ वैज्ञानिकों पर गर्व है।"

'भारत ने आज मिशन दिव्यास्त्र का किया परीक्षण': भारत सरकार के सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि "भारत ने आज मिशन

दव्याख्या का परीक्षण किया गया है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि -5 मिसाइल का यह पहला उड़ान परीक्षण था। इस परीक्षण से यह सुनिश्चित होगा कि एक ही मिसाइल विभिन्न स्थानों पर कई युद्ध प्रमुखों को तैनात कर सकती है।
परियोजना निदेशक एक महिला है और इसमें महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है।" मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (एमआईआरवी) उस तकनीक को कहते हैं जिसमें किसी मिसाइल में एक ही बार में एक से ज्यादा परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता होती है। जिससे

आप दुश्मन के अलग-अलग लक्ष्यों को भेदा जा सकता है।
क्या है अग्नि 5 मिसाइल की खासियत: अग्नि 5 मिसाइल अग्नि सीरीज की 5000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाली सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है। अग्नि 5 मिसाइल देश की दीर्घकालिक सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए विकसित किया गया है। यह मिसाइल चीन के सबसे उत्तरी हिस्से के साथ-साथ यूरोप के कुछ क्षेत्रों सहित लगभग पूरे एशिया को अपनी मारक क्षमता के अंतर्गत ला सकती है। अग्नि 1 से 4 तक के मिसाइलों की मारक क्षमता 700 किमी से 3,500 किमी तक है और इन्हें पहले ही तैनात किया जा चुका है। भारत पृथ्वी की

बायुमंडलाय सामा के अंदर आर बाहर शत्रुपूर्ण बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता विकसित कर रहा है। मिशन दिव्यास्त्र के साथ भारत को मिलेगी नई पहचानः मिशन दिव्यास्त्र के परीक्षण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास एमआईआरवी (टक्स) क्षमता है। यह प्रणाली स्वदेशी एवियोनिक्स प्रणालियों और उच्च स्टीकता संस्पर पैकेजों से सुसज्जित है, जो यह सुनिश्चित करती है कि पुनः प्रवेश करने वाले वाहन वाढ़ित स्टीकता के भीतर लक्ष्य बिंदुओं तक पहुँचें। यह क्षमता भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति की प्रतीक है।

केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों को सौगात सीएपीएफ कैटीन के सामान पर मिलेगी 50 फीसदी जीएसटी छूट

नई दिल्ली: कद्राय अधसानक बला के 11 लाख जवानों के लिए राहत की खबर है। गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ कैटीन यारी केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार (कैपीकेबी) पर मिलने वाले उत्पादों पर 50 फीसदी जीएसटी छूट देने की बात कही है। इस बाबत सोमवार को गृह मंत्रालय द्वारा कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार से सामान की खरीद पर 50 फीसदी जीएसटी सहायता दिनांक एक अप्रैल 2024 से लागू होगी। यह सहायता बजट के माध्यम से देय होगी। कफेडरेशन ऑफ एक्स पेरामिलिट्री फोर्सेंस मार्टियरस वेलफेयर एसोसिएशन, इस छूट के लिए लंबे समय से आवाज उठा रही थी। इसके लिए एसोसिएशन ने अनेक केंद्रीय मंत्रियों को ज्ञापन भी सौंपा था। पीएमओ के साथ पत्राचार के माध्यम से यह मांग उठाई गई थी। बजट सत्र से पहले एसोसिएशन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया था कि वे अंतरिम बजट में सीएपीएफ कैटीन के



उत्पादों पर 50 फीसदी जीएसटी देने की घोषणा करें। एसोसिएशन पदाधिकारियों का कहना था, सीपीकैंटीन पर जीएसटी टैक्स के चलते 1 लाख पैरामिलिट्री परिवारों का घोड़े बजट बिगड़ जाता है। ऐसे में सीपीकैंटीन में मिलने वाले उत्पादों पर से फीसदी की तर्ज पर जीएसटी में जो एसोसिएशन के चयरमैन एवं पूर्व एडीएचआर सिंह व महासचिव रणबीर रिक्षाव के मुताबिक, केंद्रीय अर्थसंरीकृत बलों जवानों व उनके परिवारों के लिए :

सितंबर 2006 को सेंट्रल पुलिस कैटीन (सीपीसी) की स्थापना की गई थी। इसका मकसद था, जवानों को बाजार भाव से सस्ता घरेलू सामान मुहैया कराना। सीपीसी कैटीन के अस्तित्व में आने से पहले सुरक्षा बलों की यूनिट द्वारा सेना की जीएसटी कैटीन से घरेलू उपयोग वाला सामान खरीद जाता था। देश भर के विभिन्न राज्यों में तकरीबन 119 मास्टर कैटीन और 1778 सीपीसी कैटीन हैं। सीपीसी कैटीन में मिलने वाली वस्तुओं को थोक भाव में अगर कहीं से खरीदते हैं तो कैटीन और दिया गया। जीएसटी के लागू होने से पहले बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड, मणिपुर, मेघालय, हरियाणा, राजस्थान, झारखण्ड, तमिलनाडु, उडीसा व केरल आदि राज्यों द्वारा सीपीसी कैटीन में मिलने वाली वस्तुओं पर वैल्यू एडेंटैक्स (वैट) की छूट दी गई थी। जीएसटी लागू होने के बाद राहत के तौर पर, बजट में सहयोग करने की बात कहीं गई थी। इसके बाद कोई राहत नहीं मिली। कैटीनों के सामान पर जीएसटी लागू हो गया। इसके चलते 20 लाख पैरामिलिट्री परिवारों का घरेलू बजट गढ़वाला गया।

